

# मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त, 1994 (भाद्र 4, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. निघन का उल्लेख

- (1) पण्डित आनन्द बिहारी मिश्र, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (2) श्रीमती शिवराज कुमारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

### 2. प्रश्नोत्तर

- (1) पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.
- (2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य का मुख्यमंत्री से पूछा गया अल्प सूचना प्रश्न क्रमांक-2.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

- (1) सर्वश्री रघुनन्दन शर्मा, रामलखन शर्मा, सदस्य, प्रदेश के यात्रियों से अर्चना एयरवेज द्वारा मनमाना किराया वसूल किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर जिले की गोपालपुर बारूद फेक्ट्री के प्रदूषित जल से फसलों की हुई क्षति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (3) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, सतना स्थित राज्य भंडार गृह निगम के शक्कर गोदाम में अग्निकांड से हुई क्षति की ओर राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (4) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर जिले के कोरबा स्थित विद्युत संयंत्र की एक इकाई के बायलर में विस्फोट होने से हुई क्षति की ओर राज्य मंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर जिले के महु धानान्तर्गत पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (6) सर्वश्री बाबूलाल गौर, गोपीकृष्ण नेमा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, भोपाल के हनुमानगंज धाने में पुलिस की मारपीट से एक व्यक्ति की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम परसेल में सिंचाई की व्यवस्था करने,
- (2) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, राजधानी भोपाल के शंकराचार्य नगर में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने,
- (3) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, देवास जिले के -
  - (क) ग्राम कलवार से महुड़िया तक गिट्टीकृत सड़क बनाने, तथा
  - (ख) ग्राम कलवार में हाईस्कूल खोलने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

### 5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में हैजा, आंत्रशोथ एवं मस्तिष्क ज्वर से हो रही जनहानि के संबंध में चर्चा (क्रमशः).

निर्धारित  
समय

**6. अशासकीय संकल्प**

- 20 मि. (1) श्री धावरचन्द गेहलोत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
- " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रतलाम से उदयपुर एवं डूंगरपुर (राजस्थान) वहाया बांसवाड़ा रेल लाइन डाली जाय."
- 20 मि. (2) श्री अखण्ड प्रताप सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
- " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ललितपुर से रीवा वहाया टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना को रेलवे लाइन से जोड़ा जाय."
- 45 मि. (3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
- " सदन का यह मत है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों की संख्या को देखते हुए प्रत्येक जिले में एक विशेष थाना कायम कर उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों को ही पदस्थ किया जाय."
- 20 मि. (4) सर्वश्री रंजीत सिंह गुणवान, तुकोजीराव पवार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
- " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि इन्दीर से कोचीन एवं हावड़ा आने जाने वाली रेलों का जिला मुख्यालय पर स्टापेज एवं आरक्षण कोटा निर्धारित किया जाय."
- 45 मि. (5) श्री जयंत कुमार मलैया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
- " यह सदन अनुरोध करता है कि देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बढ़ते प्रभाव व गतिविधियों को सीमित करने हेतु केन्द्र सरकार आवश्यक उपाय करे."

भोपाल :

दिनांक : 25 अगस्त, 1994

**शीला खन्ना**

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा

संयुक्त विज्ञापन

कि शासकीय विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला सुरक्षा दल का गठन किया जाय (1)

कि शासकीय विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला सुरक्षा दल का गठन किया जाय (2)

- कि शासकीय विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला सुरक्षा दल का गठन किया जाय (3)

कि शासकीय विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला सुरक्षा दल का गठन किया जाय (4)

- कि शासकीय विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला सुरक्षा दल का गठन किया जाय (5)

कि शासकीय विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला सुरक्षा दल का गठन किया जाय (6)

कि शासकीय विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला सुरक्षा दल का गठन किया जाय (7)

कि शासकीय विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला सुरक्षा दल का गठन किया जाय (8)

(संयुक्त विज्ञापन)